



६७

## समक्ष न्यायालय – सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

।।/भिरानी/।।छिंदवाडा/।।२०.१८/।।१६००

श्रीराम पिता झनकलाल रघुवंशी, उम्र करीब 63 वर्ष

निवासी— ग्राम सुनारी मोहगांव

तहसील व जिला छिंदवाडा

..... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

शिवनारायण पिता गुमान, उम्र करीब 45 वर्ष

निवासी— भाजीपानीकलां, पोस्ट उमरढ, थाना चांद

तहसील व जिला छिंदवाडा

..... उत्तरवादी

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भ०रा०सं०

राजस्व प्रकरण क्रमांक 193/बी-121/17-18 पक्षकार शिवनारायण पिता गुमान विरुद्ध श्रीराम रघुवंशी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाडा के अंतरिम आदेश दिनांक 29/12/2017 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :—

#### पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता छिंदवाडा का स्थायी निवासी है, यहां पर उसकी चल-अचल संपत्ति रिथित है। पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके परिवार की की संपत्ति ग्राम सुनारी मोहगांव भाजीपानीकलां, तहसील व जिला छिंदवाडा, तहसील व जिला छिंदवाडा में कृषिभूमि धारित की जाती है। जो पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके परिवार के द्वारा विभिन्न पंजीयत बैनामों के माध्यम से संपत्ति धारित की जाती हैं।

2. यह कि, अनावेदक खानदानी कृषक है एवं उसके द्वारा स्वअर्जित रूप से अपने खानदानी संपत्ति से आय अर्जित कर संपत्तियों का अर्जन किया है। आवेदिका एवं उसके अन्य सहयोगी व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर इस अनावेदक की संपत्ति को हड्डपने के उद्देश्य से झूठे आवेदन दिये गये हैं। आवेदिका एवं उसके परिवारवाले के द्वारा झूठे आवेदनों का सहारा लेकर आवेदन दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, उत्तरवादी बैनामा की जाने की अवधि के उन्नीस वर्ष पश्चात् तथाकथित रूप से विक्रय पत्र को कर्ज की सुरक्षा के एवज में विक्रय पत्र होना बताया जा कर म०प्र० समाज के कमज़ोर वर्गों के कृषि-भूमिधारकों का उधार देने वालों के भूमि हड्डपने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक प्रस्तुत किया गया।

4. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उक्त समयावधि बाह्य आवेदन पत्र के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। कथित हैं म०प्र० समाज के कमज़ोर वर्गों के कृषि-भूमिधारकों का उधार देने वालों के भूमि हड्डपने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत यह अधिनियम के लागू होने

.....

**न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर**  
**अनुवृति आदेश पृष्ठ**  
**प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छिंदवाडा/भूरा/2018/1600**

रक्षान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा तकों आदि के हस्ताक्षर
५.२.१९	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० पी० धाकड उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 193/बी-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 29.12.17 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार हैः—</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला छिंदवाडा के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/3/19</p> <p><u>कलेक्टर जिला छिंदवाडा</u></p> 	